प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.08.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा 02 बच्चियों (13 व 14 वर्ष) को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गुमशुदा 02 बच्चियों (14 व 13 वर्ष) को नोली गाजियाबाद से अल्प समय में सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा थाना कोतवाली बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2-हे0का0 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3- का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.08.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 377/25 धारा 2ख1/3 गैगस्टर अधिनियम में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 377/25 धारा 2ख1/3 गैगस्टर में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र सतवीर निवासी कोर्ट रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- उक्त अभियुक्त दिनांक 15-08-2025 को समय 12.50 बजे पक्का घाट थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	273/23	379/411 भादवि	सिंघावली अहीर	बागपत
2	438/24	379/411 भादवि	बागपत	बागपत
3	677/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
4	691/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
5	692/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
6	693/24	303(2)/317(2) बीएनएस	बागपत	बागपत
7	696/24	317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस	बागपत	बागपत
8	377/25	2(ख)/1/3 गैंगस्टर अधि0	बागपत	बागपत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- प्र0नि0 दीक्षित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2- है0का0 415 रविन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4-का0 1080 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा   दिनाँक 15.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी कृपाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह निवासी पट्टी तलहटी अहिरान कस्बा खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ बबली, 2. मोतीराम, 3. मोदीराम पुत्रगण कालूराम, 4. गजेन्द्र, 5. सतवीर, 6. सतपाल पुत्रगण बाबूराम, 7. बिट्टू पुत्र सतवीर, 8. ऊदित पुत्र विकास व 02 महिला निवासीगण पट्टी तलहटी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डन्डों व धारदार हथियार से लैस होकर रंजिशन उसके भतीजे नितिन व नीरज पुत्रगण स्व0 नरेशचन्द पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, जिसमें दोनों के चोटें आयीं हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 03-08-2025 को 01 अभियुक्त विकास उर्फ बबली पुत्र कालूराम निवासी कस्बा व थाना खेकडा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1.गजेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम निवासी पट्टी अहीरान तलहटी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.हिमांशु उर्फ बिट्टू पुत्र सतवीर निवासी पट्टी अहीरान तलहटी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3.का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

4.का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 15.08.25**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 183/25 धारा 80(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.25 को छपरौली पर वादी श्री ऋतिक पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली के ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. कुन्दन (पति) पुत्र किशन कुमार 2. दीपक (देवर) पुत्र किशन कुमार 3. विशाल (देवर) पुत्र किशन कुमार 4.01 महिला(सास) 5. किशन कुमार (ससुर) पुत्र फूल सिंह निवासीगण ग्राम सीदीपुर दादरी थाना जारचा गौतमबुद्धनगर द्वारा उसकी बहन का दहेज के लिये उत्पीडन किया गया । दहेज की मांग से प्रताडित होने के कारण उसकी बहन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 183/25 धारा 82(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा

मु0अ0सं0 183/25 धारा 80(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

नोट-उपरोक्त अभियोग में दिनांक 18-07-2025 को थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुन्दन पुत्र किशनकुमार निवासी सीदीपुर थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-है0का0 383 सुरेश थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-15.08.2025

थाना दोघट क्षेत्र के ग्राम दाहा की सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट वीडियो का थाना दोघट पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2025 को थाना दोघट क्षेत्र के ग्राम दाहा में मिठाई की दुकान में प्रथम पक्ष के 1-कपिल पुत्र सतबीर सिँह निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत व द्वितीय पक्ष के वंश पुत्र सतीश निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत के मध्य दुकान पर सामान के रुपये लेन-देन के विवाद में मारपीट हो गयी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

थाना दोघट पुलिस द्वारा उक्त वायरल वीडियो में मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र सतबीर सिंह निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 15.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल उर्फ काला पुत्र बिरमपाल निवासी पट्टी मोल्हु बावली कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत।

2. है0का0 358 बन्टी रावल थाना बड़ौत।

3. है0का0 725 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत।